संख्या-91/2020/1350/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 जुलाई 2020

विषय:-**समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (ए0टी0एस0) में अग्निशमन व्यवस्था हेतु फायर अलार्म एवं फायर हाइड्रेण्ट सिस्टम का कार्य कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-134/2019/2263/26-3-2019 दिनांक 31 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रदेश के 56 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (ए0टी0एस0) में अग्निशमन की व्यवस्था हेतु फायर अलार्म एवं फायर हाइड्रेण्ट सिस्टम की स्थापना का कार्य कराये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए कुल रू0-6396.32 लाख की प्रशासकीय एवं रू0-1484.86 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्यों में रूचि न लिये जाने एवं पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-134/2019/2263/26-3-2019 दिनांक 31 मई, 2019 को संशोधित करते हुये शासनादेश संख्या-183/2019/3134/26-3-2019, दिनांक-29.07.2019 द्वारा उक्त कार्य को यू0पी0सी0एल0डी0एफ0 के स्थान पर यू0पी0 सिडको को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने एवं प्रथम चरण में 6 विद्यालयों हेतु रू0-685.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया। लगभग 11 माह व्यतीत हो जाने पर भी यू0पी0 सिडको द्वारा उक्त 56 आश्रम पद्धति विद्यालयों में फॉयर अलार्म एवं फॉयर हाइड्रेण्ट सिस्टम लगाये जाने के सम्बन्ध में अभी तक निविदा भी नहीं आमंत्रित की जा सकी है न ही कोई अन्य कार्यवाही ही की गयी है।

2- शासनादेश संख्या-183/2019/3134/26-3-2019, दिनांक-29.07.2019 के क्रम में कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको द्वारा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित 56 आश्रम पद्धति विद्यालयों में अग्निशमन व्यवस्था हेतु फॉयर अलार्म एवं फॉयर हाइडेण्ट सिस्टम लगाये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

जैसै महत्वपूर्ण कार्य में रूचि न लिये जाने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक-29.07.2019 को संशोधित करते हुये प्रश्नगत कार्य हेतु यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 के स्थान पर यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

कृपया उपरोक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

संख्या-91/2020/1350 (1)/26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01-प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ, उ0प्र0।

02-महाप्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-42, गोमती नगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में फॉयर अलार्म एवं फायर हाइडेण्ट की स्थापना हेतु निर्धारित/अनुमोदित विशिष्टियों/मानक/ब्राण्ड में विचलन किये बिना त्वरित गति से कार्य कराना सुनिश्चित करें।

03-समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

04-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

05-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

06-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।